



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर

दिनांक 31.03.2025

**थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 123/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.03.2025 को वादिया ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 30.03.2025 को वादिया के स्कूल से 02 अज्ञात चोर स्कूल में घुसकर पिछला दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया तथा 4 खिडकिया ग्रिल सहित चौखट सहित तोड़कर जाने लगे । स्कूल के चौकीदार ने एक चोर को 03 लोहे की खिडकी व 01 चौखट लकड़ी का टुकड़ा सहित पकड़ लिया गया । पकड़े गये अभियुक्त ने अपना नाम अरशद पुत्र असमत निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर बताया तथा इसने अपने फरार साथी का नाम अदनान पुत्र राजू निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर बताया । इस संबंध में वादिया की तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 123/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 123/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अरशद पुत्र असमत निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 03 लोहे की खिडकी व 01 चौखट लकड़ी का टुकड़ा सहित गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरशद पुत्र असमत निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

### बरामदगी का विवरण –

03 लोहे की खिडकी व 01 चौखट लकड़ी का टुकड़ा

### अपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 62/2020 धारा 380,511 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 438/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 123/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 31.03.2025

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 113/2025 धारा

85/115(2)/89/351(3)/352/61(2)/80(2) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.03.2025 को वादी श्री रामराज पुत्र श्री सोने लाल निवासी ग्राम रुरुकला रुरुगंज औरैया थाना विधुना जनपद औरैया ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त दीपक पुत्र श्री रामकुमार निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व उसके परिजन वादी की पुत्री से अत्यधिक दहेज की मांग किया करते थे और मांग पूरी न होने पर उसके साथ जातिसूचक शब्दों को प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया करते थे । दिनांक 23.03.2025 अभियुक्त दीपक व उसके परिजनों ने वादी की पुत्री को जहर देकर उसकी हत्या कर दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 113/2025 धारा 85/115(2)/89/351(3)/352/61(2)/80(2) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम दीपक कुमार आदि 07 नफर पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही:-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण दीपक पुत्र रामकुमार व आशा पत्नी रामकुमार निवासीगण ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. दीपक पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. आशा पत्नी रामकुमार निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. म0उ0नि0 श्रीमती जूही थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. म0हे0का0 743 विनीता तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. का0 1287 नीरज पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
5. का0 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक 31.03.2025

**थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 268/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में  
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 30.03.2025 को वादी श्री सुरेन्द्र पुत्र रघुवीस निवासी ग्राम शाहनगर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि दिनांक 30.03.2025 को अभियुक्तगण इरफान पुत्र अब्दुल रशीद निवासी कस्बा दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व दिलशाद पुत्र रमजानी निवासी कस्बा दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, कॉलम जंक्शन सैटरिंग के सामान चोरी करके ई-रिक्शा में रखकर ले जा रहे थे, जिन्हें वादी व कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा मौके पर ही पकड लिया गया । थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण इरफान व दिलशाद उपरोक्त को गिरफ्तार कर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 75/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



द्वारा अभियुक्तगण इरफान व दिलशाद उपरोक्त को गिरफ्तार कर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 75/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-**

1. इरफान पुत्र अब्दुल रशीद निवासी कस्बा दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. दिलशाद पुत्र रमजानी निवासी कस्बा दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

**बरामद माल का विवरण :-**

घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा (रजि0 नं0 UP20BT7989) व दो सैटरिंग (लोहे के सामान)



# BIJNOR POLICE



माह मार्च- 2025

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह मार्च में कुल- 61 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह मार्च में कुल-61 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र०सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	कोतवाली शहर	217 / 25	137(2) बीएनएस
2	कोतवाली शहर	185 / 25	137(1)(बी),127(2),115(2),351(2) बीएनएस व 9 / 10 पोक्सो एक्ट
3	कोतवाली शहर	100 / 25	137(2) बीएनएस
4	कोतवाली शहर	138 / 25	87 बीएनएस
5	कोतवाली शहर	207 / 25	87 बीएनएस वृद्धि धारा 3(2)5 एस्सीएसटी
6	कोतवाली शहर	174 / 25	87 बीएनएस
7	कोतवाली शहर	206 / 25	137(2) बीएनएस
8	कोतवाली शहर	1119 / 24	87 बीएनएस
9	कोतवाली शहर	254 / 25	137(2) बीएनएस
10	मण्डावर	19 / 25	137(2) बीएनएस
11	नजीबाबाद	88 / 25	137(2) बीएनएस
12	किरतपुर	44 / 25	137(2) बीएनएस
13	किरतपुर	46 / 25	85,87,64,351(2),115(2),127(2) बीएनएस
14	किरतपुर	35 / 25	87,352 बीएनएस
15	मण्डावली	17 / 25	87 बीएनएस
16	नांगल	27 / 25	137(2) बीएनएस
17	नांगल	32 / 25	137(2) बीएनएस

18	चांदपुर	82 / 25	137(2) बीएनएस
19	चांदपुर	104 / 25	75(2),87,61(2) बीएनएस
20	चांदपुर	141 / 25	137(2) बीएनएस
21	नूरपुर	108 / 25	87 बीएनएस
22	नूरपुर	100 / 25	87,127(2),351(2) बीएनएस
23	नूरपुर	85 / 25	137(2),115(2),351(3) बीएनएस
24	नूरपुर	73 / 25	137(2), 70(2), 351(3) बीएनएस व 5 एम/6 पोक्सो एक्ट
25	नूरपुर	92 / 25	137(2) बीएनएस
26	हीमपुर दीपा	27 / 25	87 बीएनएस
27	हीमपुर दीपा	26 / 25	137(2) बीएनएस वृद्धि धारा- पॉ0एक्ट 5जी/6
28	शिवाला कलां	45 / 25	87 बीएनएस
29	नगीना	42 / 25	87 बीएनएस
30	कोतवाली देहात	23 / 25	87 बीएनएस
31	कोतवाली देहात	26 / 25	351(3),87 बीएनएस
32	कोतवाली देहात	38 / 25	87 बीएनएस
33	कोतवाली देहात	10 / 25	87 बीएनएस
34	कोतवाली देहात	45 / 25	137(2) बीएनएस
35	कोतवाली देहात	48 / 25	87 बीएनएस
36	बढापुर	37 / 25	87 बीएनएस
37	बढापुर	17 / 25	87 बीएनएस
38	नगीना देहात	263 / 24	137(2) बीएनएस
39	नगीना देहात	47 / 25	87 बीएनएस
40	नगीना देहात	57 / 25	137(2) बीएनएस वृद्धि धारा 64(1) 87 बीएनएस 3/4 पॉ0 एक्ट
41	नगीना देहात	64 / 25	87 बीएनएस
42	नगीना देहात	71 / 25	87 बीएनएस
43	नगीना देहात	65 / 25	87 बीएनएस
44	नगीना देहात	43 / 25	87 बीएनएस
45	धामपुर	84 / 25	137(2),352 बीएनएस
46	धामपुर	110 / 25	87 बीएनएस
47	स्योहारा	503 / 24	137(2),87,61(2) बीएनएस
48	स्योहारा	11 / 25	87 बीएनएस
49	स्योहारा	73 / 25	137(2),61(2),352 बीएनएस
50	स्योहारा	94 / 25	137(2) बीएनएस
51	स्योहारा	71 / 25	137(2) बीएनएस
52	स्योहारा	503 / 24	137(2),87,61(2) बीएनएस
53	नहटौर	36 / 25	87 बीएनएस
54	नहटौर	58 / 25	137(2) बीएनएस
55	नहटौर	68 / 25	137(2) बीएनएस
56	अफजलगढ	66 / 25	87 बीएनएस वृद्धि धारा 69,115(2),352 बीएनएस
57	अफजलगढ	76 / 25	137(2) बीएनएस
58	अफजलगढ	79 / 25	137(2) बीएनएस वृद्धि धारा 64 बीएनएस 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट
59	शेरकोट	13 / 25	87 बीएनएस
60	शेरकोट	25 / 25	87 बीएनएस
61	रेहड	23 / 25	137(2),115(2),352 बीएनएस व 3(2)बी एससीएसटी एक्ट



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना हल्दौर

दिनांक-31.03.2025

**थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 65/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में  
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2025 को वादी श्री योगेश कुमार पुत्र चिरंजी सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर देवमल थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने अज्ञात चोरो द्वारा उसकी मोटरसाइकिल UP20CF1191 को ग्रेट साईन फार्म ग्राम नागल जट से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 065/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था ।



### कार्यवाही का विवरण -

उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 02 अभियुक्तगण 1- नरेन्द्र पुत्र सुरेश चन्द निवासी ग्राम सुजमाना थाना बछरायूं जनपद अमरोहा 2- बिट्टू पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम सेन्धवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये है । थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बिट्टू पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम सेन्धवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

नोट:- दिनांक 22.03.2025 को अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. बिट्टू पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम सेन्धवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राजपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

2-का0 886 विशाल तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 31.03.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही :-

दिनांक 31.03.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त उज्ज्वल पुत्र अवनीश निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व रोहित कुमार उर्फ सल्लू पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 66/2025 धारा 9/25/35 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1. उज्ज्वल पुत्र अवनीश निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. रोहित कुमार उर्फ सल्लू पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर बिजनौर

### बरामदगी विवरण:-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री रोबिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. का0 1996 अंकुर राणा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4. का0 1947 सोनू सहगल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर